न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्
सोनपुर सारण।
हकियत वाद सं0–73 सन् 2023
इसरायल अहमद ..........................वादी।
बनाम
मो0 इद्रीस वगै0...........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 31.07.2025

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 03.07.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 03 मजरूल हक थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 25.05.2024 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 03 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 03 मजरूल हक का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 03 मजरूल हक थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 25.05.2024 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उपरोक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक03.07.2025 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें। वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम्
सोनपुर, सारण।